रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25092025-266395
CG-DL-E-25092025-266395

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4204] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 23, 2025/आश्विन 1, 1947
No. 4204] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 23, 2025/ASVINA 1, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2025

का.आ. 4322(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. **160(E) तारीख 09/01/2025**, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा गुजरात राज्य के सुरेंद्रनगर जिले में NH51 के कि.मी. 0 से कि.मी.10.9 तक के भूखण्ड पर टोल प्लाजा के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "04/03/2025 को “ध टाइम्स ओएफ इंडिया [इंग्लिश]” , 20/02/2025 को “गुजरात समाचार” " में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

गुजरात राज्य के सुरेंद्रनगर जिले में NH51 के कि.मी. 0 से कि.मी.10.9 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: गुजरात			**जिले का नाम: सुरेंद्रनगर**		
क्रमिक संख्या	**सर्वेक्षण संख्या**	**भूमि का प्रकार**	**भूमि की प्रकृति**	**भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)**	**भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम**
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: लींबडी					
गांव का नाम: अनकेवलिया					
1	१७०	निजी	एग्रीकल्चर	0.0248	ज़ाला हर्षबा दिग्विजयसिंह
2	१७१	निजी	एग्रीकल्चर	0.8038	कनूभाई कालुभाई चौहाण विगेरे
3	१७३	निजी	एग्रीकल्चर	0.5937	ब्रिजराजसिंह अनिरुद्धसिंह राणा
4	१८०	सरकारी	पड़तर	0.1704	श्री सरकार
5	२०८	निजी	एग्रीकल्चर	0.4683	राणा प्रतापसिंह घनश्यामसिंह विगेरे
6	२०९	सरकारी	पड़तर	0.4716	श्री सरकार
7	२११	सरकारी	पड़तर	3.0469	श्री सरकार
गांव का नाम: लींबडी					
8	२८४ /१ ,२८४/२	निजी	एग्रीकल्चर	0.1795	कानजीभाई देवजीभाई दलवाड़ी विगेरे
9	288	निजी	गैर- कृषि	0.0453	किशोरभाई कुवरजीभाई भागीदार
10	३४८ ,३४८/१	निजी	नॉन-एग्रीकल्चर	0.0073	सेलाभाई खोड़ाभाई भरवाड विगेरे 348/2
11	३४८ ,३४८/१	निजी	नॉन-एग्रीकल्चर	0.0975	दानाभाई पोपटभाई भरवाड विगेरे 348/1

12	३४९	निजी	नॉन-एग्रीकल्चर	0.0097	डॉ मयंक करशनभाई डाभी
			Total	5.9188	

[फा. सं. 06/2019/GJ/ZONE-V/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd September, 2025

S.O. 4322(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **160(E) Dated:09/01/2025** , published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for construction of Toll Plaza Maintenance, management and operation of NH51 in the stretch of land from Km. 0 to Km. 10.9 in the district of SURENDRANAGAR in the state of GUJARAT

And whereas the substance of the said notification has been published in "The Times of India" dated 04/03/2025 , "Gujarat Samachar" dated 20/02/2025 ; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH51 in the stretch of land from Km. 0 to Km. 10.9 in the district of SURENDRANAGAR in the state of GUJARAT

State: GUJARAT			**District: SURENDRANAGAR**		
Sl. No.	**Survey/Plot Number**	**Type of Land**	**Nature of Land**	**Area (in Hectares)**	**Name of Land Owner/Interested Person**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Taluk: Limbdi					
Village: Ankewaliya					
1	170	Private	AGRICULTURE	0.0248	ZALA HARSHABAA DIGVIJAYSINH
2	171	Private	AGRICULTURE	0.8038	KANUBHAI KALUBHAI CHAUHAN VIGERE

3	173	Private	AGRICULTURE	0.5937	BRIJRAJSINH ANIRUDHSINH RANA
4	180	Government	PADTAR	0.1704	SHREE SARKAR
5	208	Private	AGRICULTURE	0.4683	RANA PRATAPSINH GHANSHYAMSINH VIGERE
6	209	Government	PADTAR	0.4716	SHREE SARKAR
7	211	Government	PADTAR	3.0469	SHREE SARKAR
Village: Limbdi					
8	284/1,284/2	Private	AGRICULTURE	0.1795	KANJIBHAI DEVJIBHAI DALVADI VIGERE
9	288	Private	Non-Agriculture	0.0453	KISHORBHAI KUVAJIBHAI BHAGIDAR
10	348,348/1	Private	Non-AGRICULTURE	0.0073	SELABHAI KHODABHAI BHARVAD VIGERE 348/2
11	348,348/1	Private	Non-AGRICULTURE	0.0975	DANABHAI POPATBHAI BHARVAD VIGERE 348/1
12	349	Private	Non-AGRICULTURE	0.0097	DR MAYANK KARSHANBHAI DABHI
			Total	**5.9188**	

[F. No. 06/2019/GJ/ZONE-V/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2025.09.25 15:56:29 +05'30'